

**न्यायालय राज्य अपील पाठिकाणी, जोधपुर**  
**पीठाधीन अधिकाणी श्री नरवदन वरद, आर.ए.एस.**

2017RAJU23RTA100 Narayansingh Etc Vs State of Raj.

1. नारायणसिंह पुत्र आणिसिंह राजपुत्रीहैव
2. बिहारीलाल पुत्र आणिसिंह राजपुत्रीहैव
3. जादवसिंह पुत्र सिमरथसिंह राजपुत्रीहैव नरिये कायमसुकाभाल -

- a. भवसिंह पुत्र जादवसिंह राजपुत्रीहैव
  - b. सुखसिंह पुत्र जादवसिंह राजपुत्रीहैव
- जिवासीलाल खाराबेरा पुत्रीहैवान  
 तहसील गौरी जोगा जोधपुर

4. सोहनसिंह पुत्र सिमरथसिंह राजपुत्रीहैव
5. पुखसिंह पुत्र भवसिंह राजपुत्रीहैव
6. मोहनसिंह पुत्र भवसिंह राजपुत्रीहैव
7. गोपालसिंह पुत्र भवसिंह राजपुत्रीहैव
8. स्वयंपसिंह पुत्र हिमालसिंह राजपुत्रीहैव
9. भूमसिंह पुत्र हिमालसिंह राजपुत्रीहैव

जिवासीलाल राम खाराबेरा, तहसील गौरी  
 जोगा जोधपुर

----- अपीलकर्ता

**ब**

**ग**

**अ**

1. राजस्थान राज्य नरिये उपखण्ड अधिकाणी, गौरी, जोगा जोधपुर
  2. तहसीलदार, तहसील गौरी, जोगा जोधपुर
  3. बालावसिंह पुत्र हनीरसिंह राजपुत्रीहैव
  4. श्रीमसिंह पुत्र अमरसिंह राजपुत्रीहैव पुत्र श्रीमसिंह
  5. नारायणसिंह पुत्र रामसिंह राजपुत्रीहैव पुत्र श्रीमसिंह
  6. भावसिंह पुत्र गोरधनसिंह राजपुत्रीहैव पुत्र बदाहरसिंह
  7. कानसिंह पुत्र गोरधनसिंह पुत्र बदाहरसिंह राजपुत्रीहैव
  8. भूमसिंह पुत्र किष्णसिंह पुत्र भूमसिंह राजपुत्रीहैव
- जिवासीलाल धोलिया सासन, तहसील रोहट  
 जोगा पागली

----- स्था.

अपील अन्वयत तिरुङ्ग आदेश सहायक कलेक्टर  
 एवं उपखण्ड अधिकाणी गौरी जोगा जिलाक 03 अक्टूबर  
 2017 राज्य प्रकरण संख्या 19/2017 जोगा

राजस्थान राज्य न्यायालय  
 जोधपुर



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गौरी

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री अधिकारी राजपुरीहित, अधिवक्ता अपीलापट्टस  
श्री ददाराज चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, देपुरी. संख्या एक व दो  
श्री सिद्धार्थ फरिहार एवं श्री पूनाराम विन्नाई, देपुरी. संख्या 3 से 8

### निर्णय

दिनांक : 21 नवंबर 2019  
अपीलापट्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
गौरी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 19/2017 बजातावरसिंह बलाम सरदारसिंह  
व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2017 के खिलाफ यह अपील  
अदागत होना के समक्ष दिनांक 02 नवंबर 2017 को पेश की गयी है।

अपील के साथ अपीलापट्टस की ओर से एक प्रार्थनापत्र भय  
समक्ष पेश कर गतिर किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा  
अपीलापट्टस निर्णय के अर्जुम में हिकी पूर्वा नही बनाया गया। अतः  
अपील के साथ हिकी पूर्वा की नकल प्रस्तुत करने की अनिवायता में  
दिखावत प्रदान की जावे।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय  
के समक्ष वादीवप-अपीलापट्टस ने राजस्थान कायदकारी अधिनियम, 1955  
की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आरानी खसरा संख्या 927  
रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके मौजा खसरा बेरा पुरीहिला के संबंध में पेश  
किया, जो वाद संख्या 03/2014 नारायणसिंह बलाम सरदारसिंह आदि  
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2016 को स्वीकार किया

गया।  
इसके करीब दो माह बाद प्रतिवादीवप संख्या 10 व 11 के  
वार्डिसन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्याय  
आदेश 9 दिनाम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर उक्त

Handwritten signature and stamp at the top of the page.

निर्णय व डिफ़ी गट प्रतिवादीजण के विरुद्धाफ पारिव हो जाने से खारिज किये जाने योग्य होना जाहिर किया। उक्त प्रार्थनापत्र शपथ-आपूर्त करे द्वारा तस्वीकयुक्त नही होते हुए भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया।

इसके बाद प्रतिवादीजण संख्या 10 व 11 के पारिसान द्वारा

अपीलरुख न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थनापत्र स्थित प्रकिया

स्थिता की धारा 151 के तहत प्रेष कर प्रक्षकारान के मध्य रानीगामा हो

ना चुका है, अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपरित

धारा 151 सीपीसी निस्ये विद्वा/जोट प्रेष खारिज किया जावे। तदनुसार

दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को अपीलरुख न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र

निस्तारित किया गया।

इसके बाद पुनः जुलाई 2017 में स्टप्. की ओर से अपीलरुख

न्यायालय में एक निस्ये प्रार्थनापत्र संख्या 19/2017 बजातावरसिंह बजाम

को नारायणसिंह आदि मूल निर्णय एवं डिफ़ी दिनांक 04 जुलाई 2016 को

अपारत किये जाने हेतु प्रेष किया गया, निसमें वर्णित अभिकथनों की

प्रामाणिकता के संबंध में अपीलरुख न्यायालय द्वारा बिना कोई निस्ये

किये, अपीलरुख के विरुद्धाफ निस्ये जारी कर दिये जाये, निस्ये की

पहला में अपीलरुख अपीलरुख न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, मगर

अपीलरुख के अपीलरुख न्यायालय द्वारा कोई जबाब या सुनवाई का

अवसर प्रदान नही किया गया और अपीलरुख आदेश दिनांक 03 अक्टूबर

2017 पारित कर मूल निर्णय एवं डिफ़ी दिनांक 04 जुलाई 2016 खारिज कर

दिये जाये। अपीलरुख न्यायालय द्वारा पारिव उक्त आदेश दिनांक 03

अक्टूबर 2017 के विरुद्धाफ आगौख्य अपील प्रस्तुत की जायी है।

उभयपक्ष के विरुद्ध अपीलरुखवाण की बहस सुनी जायी। विरुद्ध अपीलरुखवाण अपीलरुख के तहसी एवं अपील सीमें और निस्तारित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि स्टप्. को निस्ये

Handwritten signature and stamp at the top of the page.



प्राधान्य पर प्रवृत्त करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपीलवाली आदेश  
 पारित किये जाने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिव् स संबंधित मूल  
 वाद प्रकरण की प्रकृति का अदालत ही नहीं किया, अन्यथा  
 वरगृहीत का स्वतः ही अधीनस्थ न्यायालय को ज्ञान हो जाना कि  
 मूल वाद के प्रतिवादीवण संख्या एक से सत्र न तो कभी जांच खारिज  
 प्रोहिदान में रहे और न ही कभी उनके बारे में सुना गया, मात्र खारिज  
 अधीनस्थ में रूटिडन उनका नाम दर्ज हो गया। वर्तमान संख्या 3  
 से 8 एवं उनके पूर्वजों अर्थात् मूल वाद के प्रतिवादीवण द्वारा भी कभी  
 वादीवण के कर्त्तव्य बाबत कोई उच्च-पतलन उठाया गया। इससे जाहिर  
 हो जाता है कि न तो मूल वाद के प्रतिवादीवण कभी जांच खारिज  
 प्रोहिदान में रहे और न ही वादखस्त आराजियात पर उनका कोई  
 कर्त्तव्य-कार्य रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलवाली आदेश पारित  
 किये जाने समय इस तथ्य पर और नहीं किया गया कि वर्तमान संख्या  
 संख्या 3 से 8 द्वारा पूर्व में आदेश 9 नियम 13 संपादित धारा 151 के तहत  
 सिव् स प्राधान्य की कार्यवाही में प्रकृति नहीं बन, पूर्व सिव् स प्राधान्य के  
 आवेदनकाल में उक्त प्राधान्य नरिये विज्ञा खारिज करवा लिया गया।  
 अब इन संख्या. द्वारा सिव् स प्राधान्य प्रेष किया गया है। जिसके साथ  
 सिव् स प्राधान्य पर प्रवृत्त किया गया है। अपीलवाली आदेश पारित करते  
 हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत विधिक सिव् स भी उचित तौर पर  
 निर्णित नहीं किये गये हैं, निज प्रकृतिवाली को मूल बताया गया, उन  
 सबके मूल्य प्रमाण पर एक प्रवृत्त नहीं हुए, मात्र अधीनस्थ न्यायालय  
 द्वारा इस सिव् स पर और तक नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में  
 आगौर्य प्राधान्य मूल निर्णय दिनांक 04 जुलाई 2016 के सिव् स कर्त्तव्य  
 एक साल बाद प्रवृत्त किया गया है। सिव् स प्राधान्य के अधिकारों की  
 प्रकृतिवाली बाबत अधीनस्थ न्यायालय में कोई जांच नहीं की गयी,

2017  
 2017RAAJU223RTA100



जबकि नियमानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक है। अपीलापट्टस  
 की ओर से अधिनियम न्यायालय में दो प्रार्थनापत्र, एक में नवाब प्रस्तुत  
 करने हेतु समय की मांग की गयी थी, तथा दूसरे प्रार्थनापत्र में  
 दस्तावेजों की प्रतियों की मांग की गयी थी, मगर अधिनियम न्यायालय  
 द्वारा न तो समय दिया गया और न ही अधीनस्थ आदेश पारित किये  
 जाने के पूर्व उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों का निस्तारण ही किया गया है।  
 अधिवक्ता-अपीलापट्टस का यह भी तर्क रहा है कि अधीनस्थ आदेश  
 जिस प्रकार पारित किया गया है, वह विधिसंगत नहीं है क्योंकि उससे  
 मूल वाद में पूर्ण कोई कार्रवाई परामर्श नहीं होती, अपितु मूल वाद में  
 पारित निर्णय, जिसके खिलाफ रिजल्ट रिज्यू की कार्रवाई की गयी है, वह समाप्त  
 हो ही जाता है। रिज्यू उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि  
 मूल वाद में पक्षकार ही नहीं थे। अतः अधिवक्ता अपीलापट्टस ने  
 आर्ग्यूअप अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ आदेश निस्तृत किये जाने  
 का निवेदन किया।

रिज्यू, संख्या एक व दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण  
 के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने  
 का निवेदन किया।

जबकि रिज्यू, की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि  
 रिज्यू पेश करने वाले मूल वाद में प्रतिवादीवर्ग के विधिक उत्तराधिकारी  
 और प्रकरण में दिवंगत व्यक्ति है, अतः उन्हें रिज्यू पेश करने का पूर्ण  
 अधिकार है। इसके विपरीत रिज्यू में पारित अधीनस्थ आदेश के खिलाफ  
 आर्ग्यूअप अपील अदालत द्वारा में संशरण योज्य ही नहीं है। राजस्थान  
 कायदकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत रिज्यू की कार्रवाई में  
 न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है। रिज्यू के आवश्यक शर्त यह है  
 कि --

11/05/2017 11:58 AM  
 M.K.



~~Ms. Narayan Singh Etc Vs State of Raj.~~

वत माउन्टि रियां एव अंगों का परिमार्जन किया जा सकता है, जो  
प्रधानमन्त्री की कार्यवाही एक अत्याधिक साक्षर कार्यवाही होती है जिसके  
राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत नियुक्ति  
परन्तु इसके साथ ही यह भी ध्यान रखने वाले योग्य है कि  
अधिवक्ता-रेप्री. के कथन से अदालत द्वारा सहमत है।

आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में  
राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत अपील किसी  
यह सही है कि अधिवक्ता-रेप्री. के वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय  
प्रधानमन्त्री की कार्यवाही में है।

पर अधिवक्ता-रेप्री. के उक्त कथन की पुष्टि होती है। अतः  
है, इस संबंध में अधिवक्ता न्यायालय की प्रभावशाली का अवलोकन करने  
अनिवार्यता में अधिवक्ता प्रदान करने वाले हेतु प्रस्ताव प्रधानमन्त्री का प्रस्ताव  
वहाँ तक अपील के साथ इसकी प्रती की नकल भेज करने की  
अवलोकन किया गया।

राजस्थान अधिवक्ता-रेप्री. के उक्त कथन का आधीनस्थान  
उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की उपस्थिति वक्तव्य पर  
साक्षर होने से खारिज की जावे।

और न ही मूल्य प्रमाणों पर फर्क होने का कोई सबूत दिया। अतः अपील  
अधिवक्ता न्यायालय में नियुक्ति का अधिवक्ता-रेप्री. ने जवाब ही नहीं दिया  
याद की गयी है, निरस्त की जा सकती है। यह भी कथन किया कि  
प्रतिवादीगण ने, उन सभी का दखलाने की प्रतीति नहीं की। ऐसी स्थिति में फंड से  
अधिवक्ता-रेप्री. ने यह भी जाहिर किया कि मूल वाद में निम्न  
वही है

- देवने माउ से पता चले कि प्रस्ताव आदेश सही
- कोई नया साक्ष्य पता चले



पुनः दृष्ट्या अभिलेख के मूलपत्र पर दृष्टिकोण (prima facie error apparent on the face of the record) होती है या कोई बलीन सार्वभौम तथ्य या सबूत द्योतक नहीं पाया जाता है।

आलोच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 03 अक्टूबर 2017 पारित किया गया है, वह देखते हैं। द्वारा प्रस्तुत रिज्यू प्रशाखापत्र में वर्णित मूलतः इस अभिकथन के आधार पर पारित किया गया है कि मूल वाद में पारितवादीव्य संख्या एक से सत्रह सभी फौत ही चुके हैं, पारितवादीव्य सभी धोखिया सांसद के विवाही श, आज भी उनके वारिस धोखिया सांसद में ही निवास करते हैं, मार वादीव्य ने सभी मूल पारितवादीव्य को पक्षकार बना कर और झूठे निवास स्थान लिख कर डिफेंडेंस की जो प्रथम दृष्ट्या अपारतत किये जाने योग्य हैं। अपने रिज्यू प्रशाखापत्र के साथ दिनांक 02 जनवरी 2000), गोरखनसिंह (मृत्यु दिनांक 02 जनवरी 2001) व किशोरसिंह (मृत्यु दिनांक 02 जनवरी 2001) व किशोरसिंह (मृत्यु दिनांक अक्टूबर 2003), रामसिंह (मृत्यु दिनांक 02 जनवरी 2003), रामसिंह (मृत्यु दिनांक 18 अक्टूबर 2003), रामसिंह (मृत्यु दिनांक 02 जनवरी 2001) व किशोरसिंह (मृत्यु दिनांक अक्टूबर 2003) के मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किये गये। मूल दावे में यह सभी पारितवादीव्य हैं और मूल दावे में निर्णय एवं डिफेंडेंस दिनांक 04 जुलाई 2016 पारित किये जाने के पूर्व इन मूल पारितवादीव्य के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः बिना किसी वाद-विवाद के यह तथ्य प्रथम दृष्ट्या अभिलेख के अवलोकन मात्र से एकदम ही जाता है कि मूल वाद के निरधारण में सारवान विधिक त्रुटि रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिज्यू प्रशाखापत्र स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय पारित करने और मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिफेंडेंस दिनांक 04 जुलाई 2016 खारिज करने तक कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

2016  
2017



अपीलेशन आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2017 इस प्रकार संशोधित किया

जाता है -

03.10.2017 - ... अतः प्राथमिक का प्राथमिक स्वीकार

किया जाता है तथा राजस्व वार संख्या 3/2014

नारायणसिंह बलाम सरदारसिंह अन्वला धारा 88 व

188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 में

प्राप्त निर्णय एवं इसी दिनांक 04 जुलाई 2016

अपवाद किये जाते हैं। मूल वार प्रकरण पुनः दर्ज

किया जाकर मूलक प्रकरण के सभी विधिक

वारिसाल को अभिलेख पर लिया जाकर उन्हें

सूचनाई का समुचित अवसर देने हेतु कार्यवाही की

जाती है।”

निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया।

(न्यायालय वारिस)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

Mrs. 21/11/19

